

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा—

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक— 20/03/2025

विषय:— राजकीय तिब्बी कॉलेज, कदमकुआँ, पटना के नये परिसर का निर्माण कार्य नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अगमकुआँ, पटना परिसर में कराने एवं राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के नये भवनों के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० 2,64,44,91,000/- (रुपये दो अरब चौसठ करोड़ चौवालिस लाख एकानवें हजार) मात्र पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में, भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में स्वीकृत राशि रु० 18,00,00,000/- (रुपये अठारह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक-6179, दिनांक-26.11.2021 के द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर राजकीय तिब्बी कॉलेज, कदमकुआँ, पटना के नये परिसर का निर्माण कार्य नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अगमकुआँ, पटना परिसर में कराने एवं राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के नये भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में, रु० 2,64,44,91,000/- (रुपये दो अरब चौसठ करोड़ चौवालिस लाख एकानवें हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-253(7), दिनांक-11.01.2022 के द्वारा प्रदान की गई है ।

2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक- F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, दिनांक-24.01.2025, एवं F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar- SACE-54, दिनांक-24.01.2025 तथा वित्त विभाग के पत्रांक-69/वि० दिनांक-27.01.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना हेतु कुल रु० 18.00 करोड़ मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

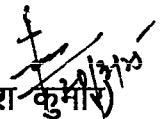
3- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है—

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	व्ययादेश सं०/आवटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2021-22	7,00,00,000/-	सं०-302(7), दिनांक-07.02.2022
2	2022-23	7,00,00,000/-	सं०-174(7), दिनांक-26.08.2022
3	2022-23	45,00,000/-	सं०-293(7), दिनांक-24.11.2022
कुल योग—		14,45,00,000/-	

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय तिब्बी कॉलेज, कदमकुआँ, पटना के नये परिसर का निर्माण कार्य नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अगमकुआँ, पटना परिसर में कराने एवं राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के नये भवनों के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० 2,64,44,91,000/- (रुपये दो अरब चौसठ करोड़ चौवालिस लाख एकानवें हजार) मात्र पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में, भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में स्वीकृत राशि रु० 18,00,00,000/- (रुपये अठारह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

- 5- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं०-253(7) दिनांक-11.01.2022 में अंकित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।
- 6- इस व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-110 अस्पताल तथा औषधालय-0101-आयुष कॉलेज अस्पताल एवं डिस्पेंसरी, विपत्र कोड-20- 4210021100101, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित/तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा।
- 7- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- 8- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632वि०, दिनांक-04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि०, दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।
- 9- वित्त विभागीय पत्रांक-432/वि०, दिनांक-29.03.2023 एवं पत्रांक-69/वि०, दिनांक-27.01.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसको प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।
- 10- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3758/वि०(2), दिनांक-31.05.2017, 7111/वि०(2), दिनांक-28.07.2022, पत्रांक-6439/वि०, दिनांक-28.08.2018 एवं पत्रांक-12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- 11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 12- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
- 13- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7/बजट-46-04/2021 के पृष्ठ-3.4/टि० पर प्राप्त है।
- 14- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-7/बजट-46-04/2021 - 541 (7) /स्वा०, पटना, दिनांक-20/03/2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/अधीक्षक/प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अगमकुआँ, पटना/प्राचार्य, तिब्बी कॉलेज, कदमकुआँ, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/महानिदेशक (आयुष), आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (यूनानी)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित ।

5/11/21
20/03/2025

सरकार के अपर सचिव